

10.12.2019

अभियुक्त रंजीत कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-[237/18](#) अन्तर्गत धारा 147,504,506 भा0दं0सं0, थाना सोहरामउ, जिला उन्नाव में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

उक्त प्रकरण में सह अभियुक्तों की जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/-रुपये की दो जमानतें एवं इतनी ही धनराशि का निजीबन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

ए0सी0जे0एम0कोर्ट संख्या-4,
उन्नाव।